संशोधन आदेश

संख्या- 41 /2019 / 497 /चार-2019 -65 (वि0)/ 2007

प्रेषक,

शिशिर
विशेष सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 25 फरवरी, 2019 में आशिंक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-39/2019/338/चार-2019-65(वि0)/2007 दिनांक 25 फरवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-39/2019/338/चार-2019-65(वि0)/2007 दिनांक 25 फरवरी, 2019 के '' **प्रस्तर-1 में टंकक त्रुटिवश प्राविधानित धनराशि रू0 190.00 लाख अंकित हो गया है, के स्थान पर प्राविधानित धनराशि रू0 180.00 लाख''** पढा जाय।

3- शासनादेश संख्या-39/2019/338/चार-2019-65(वि0)/2007 दिनांक 25 फरवरी, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या- 41 /2019/ 497 /चार-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- सचिव, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी लखनऊ
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/